कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0

संख्या–एम0ई0–3/2021/2103 लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर, 2021

यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 की ऑनलाईन काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

1. यू0पी0 नीट पी0जी0 2021(एम0डी0एस0) की ऑनलाईन कांउसिलिंग शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था राज्य सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) के सहयोग से महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा करायी जा रही है। किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति के स्तर पर लिये गये प्रवेश पूर्णरूप से अवैद्य है, जिसका उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 का नही होगा।
2. भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 (एम0डी0एस0) काउंसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।
3. यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 (एम0डी0एस0) की प्रथम चक्र की ऑनलाईन काउंसलिंग की समय–सारिणी विभागीय वेबसाईट www.dgmeup.in/https//upneet.gov.in पर अपलोड की जा चुकी है।
4. यू0पी0 नीट पी0जी0–2021 (एम0डी0एस0) की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क रू0 3000 (प्रथम व द्वितीय चक्र हेतु) डेबिड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिग के माध्यम से जमा कर सकते है।
5. **काउंसिलिंग में प्रतिभाग किये जाने हेतु अर्हता–**

BDS Passed From		
Colleges Situated in Uttarpradesh	**Excluding** • Santosh Deemed University UP (Admitted after 2007) • Aligarh Muslim University UP • Banaras Hindu University UP	Will be eligible for both Govt & Private Colleges
Colleges Situated Outside Uttarpradesh	**Including** • Santosh Deemed University UP (Admitted after 2007) • Aligarh Muslim University UP • Banaras Hindu University UP	Will be eligible for Private Colleges only.

6. अभ्यर्थी निम्नांकित विवरणानुसार डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिग के माध्यम से सिक्योरिटी धनराशि जमा किया जाना अनिवार्य है:–

कं/सं	विवरण	धरोहर धनराशि (Security Money)
1.	राजकीय क्षेत्र की एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 30,000/–
2.	निजी क्षेत्र की एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 1,00,000/–

7. सिक्योरिटी धनराशि जमा न होने की स्थिति में अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया से स्वयं बाहर हो जायेगें। जिसका उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

8. अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी धनराशि रू0 100,000/- जमा करने पर वह राजकीय/निजी क्षेत्र की एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की समस्त सीटों हेतु अर्ह माने जायेगें। अभ्यर्थी अपनी अर्हता का स्वयं आकलन करें।
9. रू0 30,000/- जमा करने पर केवल राजकीय क्षेत्र की एम0डी0एस0 की सीटों हेतु अर्ह होगें। अभ्यर्थी अपनी अर्हता का स्वयं आकलन करें।
10. सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नही की जायेगी।
11. दिव्यांगजनों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगें।
12. सभी अभ्यर्थियों से विशेष रूप से अपेक्षा है कि यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 की नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 07.10.2021 एवं विवरण पुस्तिका (ब्रेशर) विभाग की वेबासाईट www.dgmeup.in पर उपलब्ध है, का भली भांति स्वयं अवलोकन कर लिया जाये, जिसमें अर्ह/अनर्ह की प्रात्रता तथा अन्य शर्तो /प्रतिबन्धों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
13. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज विश्विद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित कालेज के बारे में स्वयं अथवा उनके अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें।
14. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से विशेष रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि अल्पसंख्यक /गैर अल्पसंख्यक कालेज संस्थान विश्वद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क (Fee Structure) जो महानिदेशालय की वेबसाईट www.dgmeup.in पर अपलोड कर दी जायेगी, का अवलोकन करने के पश्चात् ही च्वाईस लॉक करें।
15. प्रथम चक्र की कांउसिलिंग हेतु निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाईन च्वाईस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाईन च्वाईस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नही है।
16. ऑनलाईन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉन न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।
17. अभ्यर्थी द्वारा लॉक की गयी च्वाईस के उपरान्त कालेज/पाठ्यक्रम आवंटित होने की स्थिति से प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने की स्थिति में जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी।
18. प्रथम कांउसिलिंग के आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया आवंटित कालेज में ही समय सारिणी में निर्धारिण तिथि से अनुसार पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
19. आवंटित कालेज में ही शिक्षण शुल्क की धनराशि का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 के नाम बना हो प्रवेश के समय जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
20. आवंटित कालेज के प्रबन्धन द्वारा शासन से निर्धारित शुल्क से कम शुल्क पर प्रवेश लिया जाता है तो महानिदेशालय को कोई आपत्ति नही है।

21. प्रवेश लेने के समय अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षणिक/जाति/अन्य प्रमाण पत्र मूल रूप में आवंटित कालेज में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
22. अनावंटित/आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि उसकी बैंक खाते में वापस की जायेगी जिस खाते में में सिक्योरिटी धनराशि का भुगतान किया गया है। अतः सिक्योरिटी धनराशि जमा करने हेतु अभ्यर्थी अपने निजी बैंक खाते का ही प्रयोग करें। अन्यथा की स्थिति में विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
23. अनावंटित/आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि की वापसी सत्र–2021–22 की समस्त काउंसिलिंग/मॉप–अप राउन्ड पूर्ण होने के पश्चात् वापस किया जाना सम्भव हो सकेगा।
24. उत्तर प्रदेश के अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 01 जनवरी 2021 अथवा इसके पश्चात् का बना होना चाहिये। अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा, यह केवल शासकीय सीटों हेतु लागू है निजी क्षेत्र की सीटों हेतु नही है।
25. आरक्षण (अन्य पिछडा वर्ग, अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगें, दिव्यांगता प्रमाण पत्र को छोडते हुये।
26. किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर से लिये गये समस्त प्रवेश पूर्णरूप से अवैद्य माने जायेगें। यदि भविष्य में ऐसे अनााधिकृत प्रवेश के संबंध में इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। जिस पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
27. छात्रहित/जनहित में उपरोक्त मार्गदर्शन वेबसाईट पर अपलोड किये जा रहे, जिससे अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों की समस्त जिज्ञासाओं का समाधान किया गया है। अतएव आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त दिशा–निर्देशों, शासनादेश एवं ब्रोशर से उल्लिखित नियम/शर्ते/प्रतिबन्ध के अवलोकनोपरान्त कोई ऐसी विशेष समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में ही हेल्पलाईन मोबाईल का प्रयोग किया जाये।

(महानिदेशक)

संख्या–एम0ई0–3/2021/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 उ0प्र0 शासन।
2. अधिष्ठाता, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ।
3. कुलसचिव उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा उ0प्र0।
4. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य समस्त निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज उ0प्र0।
5. निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन को इस आशय के साथ की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

(महानिदेशक)
चिकित्सा शिक्षा